

विदित हो कि मैं प्रथम पक्ष उपरोक्त एक किता मकान स्थित मुहल्ला कृष्ण नगर करारी, पो0 व थाना करारी, तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी का तनहा मालिक, काबिज व दाखिल हूँ जिसमे मुझ प्रथम पक्ष के सिवाय अन्य किसी भी ब्यक्ति का हक व हिस्सा नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का विवाद है। मैं प्रथम पक्ष अपने उपरोक्त मकान के द्वितीय तल का सम्पूर्ण कमरा रिहायसी रहन सहन हेतु दो कमरा एक हाल के साथ किचनरूम व लैट्रिन, बाथरूम सहित द्वितीय पक्ष उपरोक्त को बतौर किरायेदार के रूप में रखते हुये हम उभयपक्ष निम्नलिखित शर्तों पर पाबन्द रहेगे :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष दिये गये कमरे के रंगरूप में परिवर्तन अथवा नवनिर्माण कार्य आदि बिना मुझ प्रथम पक्ष की अनुमति के नहीं करेगा।
2. यह कि मुझ प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष उपरोक्त कमरे के किराये के रूप में 5,000/रु0 ( पाँच हजार रुपये ) प्रतिमाह प्रत्येक माह की 01 तारीख को अदा करेगा। इसमे द्वितीय पक्ष की कोई हीला हवाली नहीं होगी।
3. यह कि किरायेदारी इकरारनामा दिनांक 28.06.2023 से अग्रिम 11 माह अर्थात 27.05.2024 तक वैध रहेगा, तत्पश्चात यह किरायेदारी इकरारनामा स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी।
4. यह कि यदि हम उभयपक्ष के मध्य आपसी व्यवहार व सामंजस्य अच्छे बने रहे तो इस किरायेदारी इकरारनामा को अग्रिम तिथियों तक बढ़ाया जायेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त मात्र किरायेदार के रूप में ही दिये गये कमरे का उपयोग व उपभोग करता रहेगा।
6. यह कि उक्त मकान में द्वितीय पक्ष स्वयं द्वारा उपयोग किये गये विद्युत बिल का भुगतान प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
7. यह कि मुझ प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का किया गया कार्य जिससे प्रथम पक्ष की संतोषजनक न होने पर प्रथम पक्ष आपत्तिकर द्वितीय पक्ष/किरायेदार कमरा /मकान खाली करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

हम उभयपक्ष अपने स्वस्थ व शुद्ध मस्तिष्क की दशा में समक्ष गवाहान यह किरायेदारी इकरारनामा लिखकर अपने-अपने हस्ताक्षर बना दिये ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह0 प्रथम पक्ष / मकान मालिक

ह0द्वितीय पक्ष / किरायेदार

ह0 गवाह -1 रामप्रताप पुत्र स्व0 मोती लाल निवासी कृष्ण नगर करारी, पो0 व थाना करारी, तहसील

मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी

रवि रजन ठाकुर

राम प्रताप

श्री. 30/04/24 गवाह -2 कविता देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद गुप्ता निवासिनी कृष्ण नगर करारी, पो0 व थाना करारी, तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

जिसकी पहचान श्री. तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

मेरे समक्ष स्वीकार किया कि इस शपथ पत्र

का विषय वस्तु सत्य है।

Kavita Devi

30/04/24

राजेन्द्र प्रसाद

एडवोकेट / नोटरी

मंझनपुर-कौशाम्बी, भारत सरकार